फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री निलेश सिंह निवासी – गांव नन्दावट तहसील भीम जिला राजसमन्द
– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द – **प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा – अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 105/2024**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 10.12..2024 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम ऑनलाईन अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से जरिये पत्र क्रमांक: – एफ.1( )सू0अ0,05/प्र.अ.105/2024/7023 दिनांक 29.11.2024 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/अपीलान्ट का आवेदन पत्र दिनांक 09.10.2024 का सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जरिये ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी अपीलार्थी के आवेदन में ईप्सित सूचना का संबंध कार्यालय के राजस्व अनुभाग से होने से इस कार्यालय द्वारा प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग को पत्रांक 6011 दिनांक 10.10.2024 को प्रेषित किया गया, उक्त पत्रांक की पालना में प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग के पत्रांक 1876 दिनांक 29.10.2024 से अवगत कराया कि ईप्सित सूचना अस्पष्ट होने से आवेदक, सूचना के संबंध में स्पष्ठ ब्यौरा, विशिष्टियां पत्रादि हो तो उल्लेख करते हुए कार्यालय के आदेश क्रमांक, दिनांक संबंधी कोई प्रति या अन्य दस्तावेज जिससे स्पष्ठ हो सके, प्रस्तुत करें ताकि सूचना तक पहुंच बनाई जाकर नियमानुसार सूचना उपलब्ध करवायी जा सके। इस कार्यालय द्वारा जरिये ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से प्रार्थी के आवेदन क्रमांक 244232137921389 में क्रमांक 9133955424 से	

न्यायालय जिला कलक्टर

दिनांक 30.10.24 को प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग के पत्रांक की प्रति अपलोड कर प्रार्थी को सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 6(1)(बी) के अनुसार ईप्सित सूचना में संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया किन्तु उक्त पत्रांक की पालना में प्रार्थी द्वारा आज दिनांक तक कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके अभाव में सूचना तक पहुंच बनाना संभव नही है अतः प्रार्थी को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत इस कार्यालय द्वारा जरिये ऑनलाईन क्रमांक 9133955424 से दिनांक 30.10.2024 को प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग की प्रति अपलोड कर सूचित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द कि रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना अस्पष्ट, सूचना के संबंध में स्पष्ठ ब्योरा, विशिष्टियां पत्रादि का उल्लेख नहीं होने से सूचना उपलब्ध नहीं करवायी जा सकती है उक्त संबंध में प्रार्थी के आवेदन क्रमांक 244232137921389 में क्रमांक 9133955424 से दिनांक 30.10.24 को प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग के पत्रांक की प्रति अपलोड कर प्रार्थी को सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 6(1)(बी) के अनुसार ईप्सित सूचना में संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु पत्र प्रेषित कर सूचित कर दिया जाने से उक्त अपील को खारिज किया जाता है

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

10/12/24

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)